न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली

पीठासीन अधिकारी :नन्दकिशोर राजोरा, आर.ए.एस.

राजस्व अपील : 60 / 2015

अपीलांट

1. केसर सिंह पुत्र अचल सिंह जाति राजपूत निवासी नून तहसील जालोर
2. विजय सिंह पुत्र जुहार सिंह जाति राजपूत निवासी नून तहसील जालोर
3. किशोर सिंह पुत्र जुहार सिंह जाति राजपूत निवासी नून तहसील जालोर
4. बलवन्त सिंह पुत्र जुहार सिंह जाति राजपूत निवासी नून तहसील जालोर

जिला जालोर

बनाम

रेस्पोडेन्ट्स

1. वागा उर्फ वाग सिंह पुत्र हीर जी, जाति राजपूत निवासी नून तहसील जालोर
2. भलीया उर्फ भल सिंह पुत्र हीर जी, जाति राजपूत निवासी नून, तहसील जालोर
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, जालोर जिला जालोर

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित :–

श्री गोपाल सिंह राजपुरोहित, विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट

श्री जगदीश गोदारा, विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 01

–: निर्णय :–

दिनांकः– 30/9/24

अपीलान्ट की ओर से उनके अधिवक्ता ने यह अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत सहायक कलेक्टर जालोर द्वारा प्रकरण संख्या 46 / 2015 बउनतान वागा बनाम केशर सिंह में पारित आदेश दिनांक 14.07.2015 के विरूद्ध पेश की गई। अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेन्ट्स को जरिये सम्मन तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय का रेकर्ड तलब किया गया। वकील उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

राजस्व अधिकारी
पाली

पत्रावली में पेश प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 परिसीमा अधिनियम 1963 पर उपस्थित उभयपक्ष अधिवक्ता की बहस सुनी गयी। बहस पर मनन किया गया। तथा पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेखों का अवलोकन किया। अपीलाण्ट द्वारा अपनी अपील को अन्दर म्याद शुमार करवाने हेतु परिसीमा अधिनियम 1963 की धारा 5 के तहत प्रार्थना पत्र एवं शपथ पत्र प्रस्तुत किया। विधि अनुसार जहां हक हकूकों का प्रश्न अवधारित हो, वहां पर म्याद के तकनीकि बिन्दु को गौण रखते हुए गुणावगुण पर निर्णय पारित किया जाना विधि सम्मत माना गया है। इस अनुसार वकील अपीलाण्ट द्वारा परिसीमा अधिनियम 1963 की धारा 5 के तहत प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों एवं बहस के दौरान प्रस्तुत तर्को पर मनन करने के पश्चात अपीलाण्ट का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य पाया जाता है। अतः अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 परिसीमा अधिनियम 1963 के तहत स्वीकार किया जाकर अपीलाण्ट की अपील अन्दर म्याद शुमार की जाती है।

विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने अपील बहस के दौरान अपील में वर्णित तथ्यो को दोहराते हुए कथन किया कि रेस्पोडेन्ट ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251 (क) के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपनी खातेदारी भूमि खसरा नंबर 312 व 313 में आवागमन हेतु अपीलांट की खातेदारी आराजी खसरा नंबर 317, 315 व 314 में से रास्ता प्रदान कराने की मांग की। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को नोटिस दिये बिना, सुनवाई का अवसर दिये बिना जैर अपील आदेश पारित किया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा तहसीलदार जालोर से जांच रिपोर्ट तलब की गयी। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत जांच रिपोर्ट से यह स्पष्ट है कि उक्त मौका रिपोर्ट पर अपीलांट का कोई हस्ताक्षर नहीं है। एवं न ही अपीलांट को उक्त मौका निरीक्षण की कोई सूचना दी गई। इसके अतिरिक्त अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को कैम्प कोर्ट का कोई नोटिस नहीं दिया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बिना अपीलांट को नोटिस दिये पत्रावली लोक अदालत में पेश होना बताकर बिना अपीलांटगण को सुनवाई का अवसर दिये जैर अपील आदेश पारित किया है। जो कि विधिसम्मत नहीं है। अत अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर जैर अपील आदेश अपास्त फरमावे।

विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट ने अपील में वर्णित तथ्यो का प्रत्युत्तर देते हुए कथन किया कि रेस्पोडेन्ट ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251 (क) के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपनी खातेदारी भूमि में आवागमन हेतु रास्ता प्रदान कराने की मांग की। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जैर अपील आदेश पारित किया है। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष तहसीलदार जालोर द्वारा प्रस्तुत मौका रिपोर्ट में यह स्पष्ट अंकन है कि रेस्पोडेन्ट की भूमि में आवागमन हेतु वैकल्पिक मार्ग उपलब्ध नहीं है तथा चाहा गया मार्ग सुविधाजनक उपयोग के लिए नहीं होकर

राजस्व अपील प्राधिकारी पाली

राजस्व अधिकारी
पाली

आत्यांतिक आवश्यक है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251ए के तहत संक्षिप्त कार्यवाही/प्रक्रिया अपनाते हुए काश्तकारों को राहत प्रदान करने के प्रावधान है। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत मौका रिपोर्ट में वैकल्पिक मार्ग का अभाव सिद्ध हुआ अधीनस्थ न्यायालय द्वारा समस्त तथ्यों का विवेचन करते हुए रास्ते की आत्यांतिक आवश्यकता सिद्ध होने पर जैर अपील आदेश के जरिये रास्ता प्रदान कराने का अनुतोष दिया गया है, जिसमें किसी प्रकार की विधिक त्रुटी नहीं है। अतः अपील खारिज करावें।

बहस पर मनन किया तथा अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से यह प्रकट होता है कि रेस्पोडेन्ट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष बतौर प्रार्थी एक प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 251 (क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत प्रस्तुत कर अपनी खातेदारी खसरा नंबर 312 व 313 में आवागमन हेतु अपीलांट की खातेदारी आराजी खसरा नंबर 317, 315 व 314 में से रास्ता प्रदान कराने का अनुतोष चाहा। प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा रेस्पोडेन्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र एवं तहसीलदार जालोर द्वारा प्रस्तुत मौका जांच रिपोर्ट के आधार पर जैर अपील निर्णय पारित किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपीलांटगण को राजस्व लोक अदालत कैम्प में उपस्थित होने बाबत कोई नोटिस अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में संलग्न नहीं है। जिससे यह स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपीलांट को सुनवाई का पूर्णतया अवसर प्रदान नही किया गया। इसके अतिरिक्त हस्तगत प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित जैर अपील आदेश राजस्व लोक अदालत कैम्प कोर्ट में पारित किया गया है। इस सम्बन्ध में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा आर0सी0आर0 (सिविल) 2006(4) पेज 947 सहित विभिन्न निर्णयों में यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया कि *Legal Services Authorities Act 1987, Section 20- Power of disposal of cases by Lok Adalat- No order can be passed by Lok Adalat if no compromise or settlement is or could be arrived at between parties"* इसका विस्तृत विवेचन इस प्रकार किया है कि *'The specific language used in sub-section of Section 20 makes it clear that the Lok adalat can dispose of a matter by way of a compromise or settlement between the parties, Two crucial terms in sun-section (3) and (5) of Section 20 are "compromise" and "settelment" The former expression means settlement of differences by mutual concessions. it is an agreement reached by adjustment of confficting or opposing claims by reciprocal modification of demands. As per Terms de la Ley, compromise is a mutual promise of two or more parties that are at controversy. As per Bouvier it is "an agreement between two or more persons, who to avoid a law suit, amicably settle their differences, on such terms as they can agree upon" The word "compromise" implies some element o accommodation on*

राजस्व अपील प्राधिकारी पाली

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

each side. it is not apt to describe total surrender. A compromise is always bilateral and means mutual adjustment. 'Settelment" is a termination of legal proceedings by mutual consent. If no compromise or settlement is or could be arrived at, no order and be passed by the Lok Adalat" इसी प्रकार एस0बी0सिविल रिट याचिका संख्या 9194 / 2016 में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा निर्णय पारित करते हुए यह अभिमत प्रकट किया कि जब पक्षकारान् के मध्य राजीनामा अथवा सहमति नहीं हो, तो लोक अदालत के माध्यम से आदेश पारित किया जाना विधि सम्मत नहीं है। उक्त न्यायिक सिद्धान्तों से यह स्पष्ट है कि राजस्व लोक अदालत के माध्यम से निर्णय पारित करने हेतु दोनो पक्षों की उपस्थिति एवं उनमें राजीनामा होना आवश्यक है, बिना राजीनामे के लोक अदालत के तहत आदेश पारित किया जाना विधिसम्मत नहीं है। उक्त अभिनिर्णयों से हस्तगत प्रकरण पूर्णतया प्रभावित होते है। इसी प्रकार का प्रावधान राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) नियम, 1955 में अधिनियम, 1955 की धारा 251–ए को प्रभाव देने के लिये बनाये गये नियम 69 में भी किया गया है। उक्त नियम 69 में प्रावधान है कि:–

*"**69. Enquiry and disposal of application.-** On receipt of an application .... The Sub-Divisional Officer after affording an opportunity of being heard to the parties and after making such further enquiry, as he thinks necessary, if satisfied that- (i) the necessity is absolute necessity and it is not for mere convenient enjoyment of holding; and (ii) particularly in case of a new way through another khatedar's holding, that absence of alternative means of access is provedmay allow the application. ......"*

अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांटगण को सुनवाई का अवसर दिये बिना कैम्प कोर्ट में विधि विरूद्ध तरीके से जैर अपील आदेश पारित किया है। जो कि हाजा न्यायालय की राय में उचित प्रतीत नहीं होता है।

परिणाम स्वरूप अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत अपील आंशिक स्वीकार की जाती है तथा सहायक कलेक्टर जालोर द्वारा प्रकरण संख्या 46 / 2015 बउनवान वागा बनाम केशर सिंह में पारित आदेश दिनांक 14.07.2015 को अपास्त किया जाकर प्रकरण इन निर्देशों के साथ अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251ए के आज्ञापक प्रावधानों को दृष्टिगत रखते हुए पक्षकारान को समुचित सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए विधि सम्मत आदेश पारित करें। निर्णय की प्रतिलिपी के साथ अधीनस्थ न्यायालय का रेकर्ड लौटाया जावे।

राजस्व अपील प्राधिकारी पाली

निर्णय आज दिनांक 30-9-2022 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(नन्दकिशोर राजोरा)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
पाली